तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/2025	पत्रावली पेश हुई। लघु. उपरोक्त विवेचन ~~सामी~~ दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 2 के नाम चले आ रहे हिस्सा 1/5 के खातेदारी इन्द्राजात को कलमजद किया जाकर उसके स्थान पर पर वादिनी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 तथा प्रतिवादी संख्या 02 को हिस्सा 1/20 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी ख.नं. 562/0.04 पर वादिनी व ~~तसी~~ तरतीबी प्रति० सं. 05 व 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सेनुसार 1/3, 1/3, 1/3 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1311 वाके ग्राम सीनीयाग के 1/5 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजद किया जाकर वादिनी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को 1/15, 1/15, 1/15 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। डिक्री [illegible] हो। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

भगवती बनाम चंदनसिंह बगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 24/17

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 554 रकबा 0.30, 555 रकबा 0.29, 556 रकबा 0.20, 557 रकबा 0.18, 558 रकबा 0.24, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.71, 561 रकबा 0.15, 563 रकबा 0.61, 564 रकबा 0.16, 726 रकबा 0.57, 727 रकबा 0.52, 728 रकबा 0.30, 729 रकबा 0.26, 730 रकबा 0.45, 731 रकबा 0.28, 732 रकबा 0.28, 733 रकबा 0.27, 734 रकबा 0.28 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 02 के नाम चले आ रहे हिस्सा 1/5 के खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 तथा प्रतिवादी संख्या 02 को हिस्सा 1/20 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 562 रकबा 0.04 पर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सानुसार 1/3, 1/3, 1/3 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित 1311 वाके ग्राम रौनीजा के 1/5 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को 1/15, 1/15, 1/15 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———— फीसदी बेज – सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **12.03.2025** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी नदबई

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीश कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. भगवती पुत्री चंदनसिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई (भरतपुर) राज.

वादिनी

बनाम

1. चन्दन सिंह पुत्र कलिया जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई (भरतपुर) राज. ।
2. सोनू पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

असल प्रतिवादीगण

5. राजेन्द्री पुत्री चंदनसिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील वैर (भरतपुर) राज.।
6. सावित्री पुत्री चंदनसिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 24/17
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2017/00048
निर्णय दिनांक 12.03.2025

1. भगवती पुत्री चंदनसिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।

वादिनी

बनाम

1. चन्दन सिंह पुत्र कलिया जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।
2. सोनू पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

असल प्रतिवादीगण

5. राजेन्द्री पुत्री चंदनसिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील वैर (भरतपुर) राज.।
6. सावित्री पुत्री चंदनसिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई (भरतपुर) राज.।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड0(वादी)

श्री अशोक कुमार एड0(प्रतिवादी)

निर्णय दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 554 रकबा 0.30, 555 रकबा 0.29, 556 रकबा 0.20, 557 रकबा 0.18, 558 रकबा 0.24, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.71, 561 रकबा 0.15, 562 रकबा 0.04, 563 रकबा 0.61, 564 रकबा 0.16, 726 रकबा 0.57, 727 रकबा 0.52, 728 रकबा [illegible] 729 रकबा 0.26, 730 रकबा 0.45, 731 रकबा 0.28, 732 रकबा 0.28 [illegible] रकबा 0.27, 734

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.28 किता 20 कुल रकबा 6.28 है0 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई व खसरा नंबर 1311 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 असल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की वाहिस्सा बराबर कब्जेकाश्त की खातेदारी की पैतृक आराजी है जिसे वह अपने अपने हिस्सानुसार काबिजहोकर काश्त करती चली आ रही है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 के कोई पुत्र नहीं है। वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 केवल पुत्रियां है जो उसकी विधिक वारिसान कायम मुकाम हैं। आराजी मुतनाजा पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जो वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के जायज हकों के पैतृक आराजी पर हकों के विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 उक्त विवादित आराजी पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी हैं। वर्तमान इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्धावस्था में है तथा येन केन प्रकारेण वादिनी को उसके कानूनी अधिकार को महरूम कर देने की फिराक में है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 20.03.17 को धमकी वादिनी को दी है। तथा दिनांक 31.03.17 को प्रतिवादी संख्या 6 के पुत्र अपने एक नमासे प्रतिवादी संख्या 2 को एक नुमायशी वयनामा करा दिया है जो धारा 52 ट्रासंफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत प्रतिबंधित है तथा व मुकाबले वादिनी वातिल व बेअसर है।

4. अंत में प्रार्थना की कि वादिनी को तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 सहित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र वाके ग्राम भदीरा व रौनीजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किया जावे तथा वयनामा तारीख 31.03.17 व मुकावले वादिनी वातिल व बेअसर घोषित किया जावे। और प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादिनी के हिस्से की आराजी पर किसी प्रकार हस्तक्षे[illegible]

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाक[illegible]वादी संख्या 1 की ओर से श्री भरतलाल चौधरी एडवोकेट उपस्थित हुए [illegible] संख्या 2, 5, 6 की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से अशोक कुमार एड0 उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध तामील बाबजूद उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 6 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो सक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

1. यह कि विवादित आराजीयात का जो वयनामा प्रतिवादी संख्या 2 सौनू को दिनांक 31.03.17 को कराया गया है वह प्रतिफल लेकर कब्जे का आदान प्रदान कर विधिवत तरीके से तहरीर व तस्दीक कराया गया है। प्रतिवादीगण ने वादिनी को किसी भी तारीख को कोई धमकी नहीं दी है।
2. यह कि हम प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को अगर उक्त विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा मिलता है तो हम उस हक व हिस्से को लेना नहीं चाहती है और न ही हम वादिनी के दावा का किसी प्रकार का समर्थन करती हैं। अगर हमारा हक व हिस्सा बनता है तो उस हक व हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 2 सौनू के हक में त्याग करती हैं। बिना कॉज ऑफ एक्शन के दावा काबिल खारिजी के है।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वयनामा दिनांक 31.03.2017 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम रौनीजा प्रदर्श 4, नकल जमाबदी संवत 2028 वाके ग्राम भदीरा, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम रौनीजा, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम रौनीजा व भदीरा तहसील नदबई पेश किए तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में भगवती पुत्री चंदन सिंह जाति जाट निवासी रौनीजा के शपथ पत्र पेश किए गए। जिनसे जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी अधिवक्ता के बहस दौरान कथन रहे कि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 01 पिता पुत्री हैं तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 भी प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रियां हैं। दावा में दिनांक 23.03.2017 को विवादित आराजीयात की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी बाबजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इसके दिनांक 31.03.2017 को विवादित आराजीयात का वयनामा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सोनू पुत्र राजेन्द्र को करा दिया गया एवं नामान्तरकरण भी दर्ज करा दिया गया। उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 1/5 हिस्से के अतिरिक्त संपूर्ण आराजी का वयनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में करा दिया। विवादित आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी संख्या 01 को वादिनी के बाबा कलिया से प्राप्त हुई है जिस कारण वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का हक व हिस्सा विवादित आराजीयात में जन्म से ही निहित है। अतः उक्त विवादित आराजीयात में वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को भी वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की गई। अतः वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 554 रकबा 0.30, 555 रकबा 0.29, 556 रकबा 0.20, 557 रकबा 0.18, 558 रकबा 0.24, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.71, 561 रकबा 0.15, 562 रकबा 0.04, 563 रकबा 0. 61, 564 रकबा 0.16, 726 रकबा 0.57, 727 रकबा 0.52, 728 रकबा 0.30, 729 रकबा 0.26, 730 रकबा 0.45, 731 रकबा 0.28, 732 रकबा 0.28, 733 रकबा 0.27, 734 रकबा 0.28 किता 20 कुल रकबा 6.28 है0 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई व खसरा नंबर 1311 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई पर स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2028 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 773 वाके ग्राम भदीरा क्रमशः साबिक खसरा नंबर 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,618, 619, 620, 621, 622 व 622/3558, 623, 624, 625, 626 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई से निर्मित है जो कि नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से बखूबी सिद्ध होता है। एवं उक्त साबिक खसरा नंबर नकल जमाबंदी संवत 2028 में वादिनी के बाबा कालिया वल्द जंगी कौम जाट के नाम खातेदारी दर्ज रि[illegible] है। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 1311 वाके ग्राम रौनीजा साबिक खसरा नं. [illegible]72 से निर्मित है, नकल जमाबंदी संवत 2028 में कालिया वल्द जंगी कौम जाट के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात वादिनी के बाबा कालिया वल्द जंगी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही है अतः पैतृक आराजी है न कि वादिनी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी है। पैतृक आराजी होने के कारण वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का हक व हिस्सा जन्म से ही निहित होता है। पैतृक आराजीयात में से वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को हिस्सा नहीं दिए जाने से उनके जन्म से ही पैतृक संपत्ति में प्राप्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जो कि विधि की सम्यक् प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजीयात का विक्रय जरिए रजि0 बयनामा किया गया है वह भी दावा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में स्थगन आदेश जारी होने के उपरांत किया गया है जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त बयनामा वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के हितों पर कुठाराघात हेतु इरादतन किया गया है। अतः वादिनी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 554 रकबा 0.30, 555 रकबा 0.29, 556 रकबा 0.20, 557 रकबा 0.18, 558 रकबा 0.24, 559 रकबा 0.20, 560 रकबा 0.71, 561 रकबा 0.15, 563 रकबा 0.61, 564 रकबा 0.16, 726 रकबा 0.57, 727 रकबा 0.52, 728 रकबा 0.30, 729 रकबा 0.26, 730 रकबा 0.45, 731 रकबा 0.28, 732 रकबा 0.28, 733 रकबा 0.27, 734 रकबा 0.28 वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 02 के नाम चले आ रहे हिस्सा 1/5 के खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 तथा प्रतिवादी संख्या 02 को हिस्सा 1/20 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 562 रकबा 0.04 पर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सानुसार 1/3, 1/3, 1/3 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित 1311 वाके ग्राम रौनीजा के 1/5 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को 1/15, 1/15, 1/15 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। [illegible] डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner